229

निग-1260-II/16

आज दि........................को

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–अशोकनगर

लल्लू पुत्र नत्था चमार, निवासी भौरा काछी,
तहसील व जिला अशोकनगर (म.प्र.)
..... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर
...... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार, जिला अशोकनगर द्वारा क्रमांक 135/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अशोकनगर द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

यहकि, आवेदक द्वारा कलेक्टर, अशोकनगर के समक्ष ग्राम भौरा काछी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 261/1 रकवा 1.000 हैक्टेयर भूमि के विक्रय अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कलेक्टर न्यायालय द्वारा ग्राम पटवारी से रिपोर्ट बिन्दुवार लिये जाने का आदेश पारित किया और इसी दिनांक को तहसीलदार अशोकनगर द्वारा आवेदक की अनुपस्थिति मानकर विक्रय अनुमति के आवेदन पत्र में रूचि नहीं होना प्रदर्शित कर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जबकि तहसीलदार अशोकनगर को आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार ही नहीं था। क्योंकि विक्रय अनुमति का आवेदन पत्र तहसीलदार अशोकनगर को प्रस्तुत नहीं किया गया था। आवेदन पत्र कलेक्टर, जिला अशोकनगर को प्रस्तुत किया गया था, ऐसी स्थिति में कलेक्टर, जिला अशोकनगर को आवेदन पत्र पर निर्णय करने का अधिकार था किन्तु इसके बावजूद तहसीलदार अशोकनगर द्वारा जो आदेश इस प्रकरण में पारित किया है, वह अधिकारितारहित आदेश होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2260/दो/2016 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
29.7.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 135/ /बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक द्वारा ग्राम भौरा काछी में स्थित भूमि सर्वे नं. 261/1 रकबा 1.000 है0 भूमि पर आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर, जिला अशोकनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो आदेश दिनांक 16.06. 2016 से निरस्त कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है। 3– आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया था। आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन इस	

आधार पर प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त भूमि खाल-खद्दर एवं बंजर है, जिसमें अनाज नहीं निकलता और भूमि उन्नति न होने से खेती करने में कई बांधाए आती है, जिससे आवेदक को उपरोक्त भूमि से नुकसान हो रहा है, ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया था। जिस पर विचार किये बिना कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा प्रेषित प्रकरण में तहसीलदार, अशोकनगर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसे अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4- अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जो आदेश पारित किया है, उसमें अभिभाषक की रूचि नहीं मानी गयी है। ऐसी स्थिति में आवेदन निरस्त करने का जो आदेश दिया गया है, वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5- विद्वान अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को पारिवारिक आवश्यकता एवं भूमि उपजाऊ नहीं होने से लाभ की जगह नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने के आवेदन पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत विचार करना चाहिए था, जहाँ तक तहसीलदार अशोकनगर के आदेश दिनांक

16.06.2016 को प्रश्न है तो यह आदेश अधिकारितारहित है क्योंकि उन्होंने आवेदन पत्र निरस्त करने की अनुशंसा की है। जबकि इस संबंध में उनके द्वारा कोई सूचना पत्र आवेदक का तारीख पेशी पर उपस्थिति होने का नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में आवेदक का प्रकरण में रूचि होना अथवा नहीं होना स्पष्ट नहीं है। इसलिए तहसीलदार अशोकनगर द्वारा की गयी अनुशंसा विधि अनुसार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.2016 एवं कलेक्टर, जिला अशोकनगर के समक्ष विचाराधीन आवेदन पत्र में की गयी समस्त कार्यवाही अपास्त की जाकर आवेदक को ग्राम भौरा काछी में स्थित भूमि सर्वे नं.261/1 रकवा 1.000 है0 भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

सदस्य